अपील सूचना अधिकार संख्या 96/2019 (RCMS 2019/00247) मंगलाराम पुत्र टेकराम जाति मेघवाल निवासी गांव बुगलांवाली तहसील व पुलिस थाना संगरिया जिला हनुमानगढ, राज. बनाम तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर

31.12.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मंगलाराम स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजस्व, सादुलशहर से निःशुल्क सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मंगलाराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.09.2019 के द्वारा तहसीलदार, सादुलशहर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. चक 25 एमजेडी बहरामपुरा बोदला के मु.नं. 48, 55, 54, 50 कुल 7.00 बीघा राज रकबा आराजी की काश्त हेतु निलामी अथवा बोली कब करवाई गई।
2. आज तक उक्त आराजी पर काश्त करने वाले अतिक्रमी हनुमान पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बहरामपुरा बोदला को निलामी/बोली में भाग लिया जाकर काश्त की जा रही है।
3. उक्त हनुमान द्वारा उक्त आराजी की फसल का लगान कहां जमा करवाया गया? प्रमाणित सूचना दे।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में **तहसीलदार, सादुलशहर** ने अपने पत्रांक आरटीआई/2019/1515 दिनांक 09.10.019 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Web Copy - Not Official

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रार्थना पत्र के संदर्भ में आप द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार से है :

आप द्वारा बताये गये आराजी राज 7.00 बीघा भूमि पर फसल खरीफ में हनुमान पुत्र जेठाराम जाति जाट साकिन बहरामपुरा बोदला द्वारा नाजायज काश्त करने पर दिनांक 02.08.2019 पटवारी हल्का बहरामपुरा बोदला द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर धारा 22 के तहत अतिक्रमी को नोटिस दिया जाकर अतिक्रमी बावजूद विधित् नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर कार्यवाही एक तरफा कर अतिक्रमी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.08.2019 द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध 50 गुणा तावान 1350/— रूपये व भूमि से बेदखल व खड़ी फसल नीलाम किए जाने के आदेश किए गये। किन्तु अतिक्रमी की माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट संख्या 309/2019 लम्बित होने व दिनांक 04.10.2019 को स्थगन आदेश होने से आगे फसल का कुन्ता कर आगामी कार्यवाही नहीं की गई नियमानुसार आराजी राज भूमि का लगान नहीं करवाया जाता है। सूचनार्थ

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
सादुलशहर

चूंकी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाए प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है** जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा जो दिनांक 09.10.19 से उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः **उक्तानुसार अपीलार्थी** की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व) सादुलशहर को** पालनार्थ भिजवाई जावे एवं **अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर